

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

तहसील-बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत अमरपुरा... दिनांक 3.10.25

ग्राम सेवा शिविर 2025

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/21

दिनांक:-3/10/2025

प्रेषित,


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जगदुवाड पिता/पति श्री गंगाराज निवासी पालना पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम अमरपुरा में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 8 में गंगाराज पिता/पति श्री गंगाराज जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम जगदुवाड पिता/पति श्री गंगाराज दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम जगदुवाड पिता/पति श्री गंगाराज का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार बस्सी  
तहसीलदार (भू.अ.)  
बस्सी  
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)  
जिला-चित्तौड़गढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/777

दिनांक:-6/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री जगदुवाड पिता/पति श्री गंगाराज राजस्व अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा की खाता संख्या 8 में जाति/नाम जगदुवाड पिता/पति श्री गंगाराज दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जगदुवाड पिता/पति श्री गंगाराज की जाति/नाम पिता/पति श्री गंगाराज एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री नन्दुवाई पिता/पति श्री गोगाराम रेणु

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री नन्दुवाई पिता/पति श्री गोगाराम रेणु निवास पावलवा की हुं/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम दुयलपुरी में खाता संख्या 8 किता 10 रकबा 8-64 है. भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम नन्दुवाई पिता/पति श्री गोगाराम रेणु दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में नन्दुवाई पिता/पति श्री गोगाराम रेणु दर्ज करवाना चाहती हू/चाहता हूं।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम नन्दुवाई पिता/पति श्री गोगाराम रेणु के बजाय नन्दुवाई पिता/पति श्री गोगाराम रेणु दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 09/10/2025

नन्दुवाई  
हस्ताक्षर  
प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री नन्दुवाई पिता/पति श्री गोगाराम रेणु निवासी पावलवा के राजस्व ग्राम दुयलपुरी पटवार

हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 8 में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में नन्दुवाई पिता/पति श्री गोगाराम दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते है। अतः संशोधन किया जाना उचित है। संलग्न ग्राम पंचायत अमरपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र 49/3.10.25 अमरपुरा नन्दुवाई और रतनी वाई नामकी एड भी भेजे ला है।

हस्ताक्षर पटवारी

पटवारी

पटवार मण्डल, चित्तौड़गढ़  
तह. बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर

हस्ताक्षर  
03.10.25